वित्त मंत्री

श्री लालजी वर्मा

का

2009-2010 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वर्ष 2009–2010 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री लालजी वर्मा का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2009–2010 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

मान्यवर, एक लम्बे समय से अस्थिरता का दौर देखने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने वर्ष, 2007 में सत्ता की बागडोर पूर्ण बहुमत के साथ सुश्री मायावती जी के हाथों में सौंपी । फलस्वरूप सुश्री मायावती जी चौथी बार प्रदेश की मुख्य मंत्री बनीं । इस सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल का पहला वर्ष 13 मई, 2008 को पूरा हुआ ।

सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक राज्य को जंगलराज और गुण्डा टैक्स के माहौल से निकालकर यहाँ की लगभग 17 करोड़ की आबादी के लिये 'कानून द्वारा कानून का राज' स्थापित किया तथा विकास के लिए एक सकारात्मक वातावरण व जन–सुविधाओं का सुदृढ़ आधार तैयार किया ।

दिल्ली को लगभग सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली नोएडा से बलिया तक गंगा एक्सप्रेस वे, नौकरियों में वर्षों के बैकलॉग का कोटा पूरा करके हजारों लोगों को रोजगार, एक लाख से अधिक लोगों

को सफाई कर्मचारी की सरकारी नौकरी, 88000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती, सामान्य वर्ग की भर्ती पर वर्षों से लगी रोक हटाना, भ्रष्टाचार की जड़ पर सख्त प्रहार, सरकार द्वारा किसानों की खेती की जमीन का उद्योगों के लिए अधिग्रहण न करना, छोटे किसानों की जमीन पर बैंकों द्वारा नीलामी पर प्रतिबन्ध, आम लोगों के स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए नये अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों व संस्थानों की स्थापना आदि ऐसे फैसले हैं, जिनका प्रदेश की तरक्की पर निश्चय ही सीधा, सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। हमारी सरकार द्वारा उठाये गये ठोस कदम और रचनात्मक कार्यवाहियाँ उत्तर प्रदेश को उत्तम व खुशहाल प्रदेश बनाने में निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होंगी ।

सामान्य आर्थिक परिदृश्य

दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति के बावजूद प्रदेश की विकास दर 5.2 प्रतिशत आकलित हुई । राज्य में योजना हेतु अपेक्षित वित्तीय संसाधन जुटाये जाने की व्यवस्था की गई है, जिसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं । देश की विकास दर वर्ष 2006–2007 में 9.6 प्रतिशत थी जो थोड़ी गिरावट के साथ वर्ष 2007–2008 में 9 प्रतिशत रही, जबकि प्रदेश की विकास दर दोनों वर्षों में 7.2 प्रतिशत पर स्थिर रही ।

वर्ष 1999–2000 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 35.5 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र का

योगदान 21.8 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 42.7 प्रतिशत था । वर्ष 2007–2008 में कृषि क्षेत्र का योगदान घटकर 28.4 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़कर 26.7 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 44.9 प्रतिशत हो गया है ।

हमारा प्रयास है कि प्रदेश कम से कम राष्ट्रीय विकास दर के बराबर उपलब्धि प्राप्त करे, ताकि अखिल भारतीय प्रति–व्यक्ति आय तथा प्रदेश की प्रति–व्यक्ति आय में अंतराल को कम किया जा सके । राज्य की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुये उच्च विकास दर प्राप्त करने हेतु मूल ढाँचागत सुविधाओं यथा–विद्युत आपूर्ति, सड़कों का विकास आदि के साथ ही कृषि क्षेत्र को प्रथम वरीयता प्रदान की गई है । प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये आगामी तीन वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया गया है । किसानों के व्यापक हितों के दृष्टिगत ऐसे कार्यकलाप प्रोत्साहित किये जा रहे हैं जिनसे उत्पादन ही नहीं बल्कि उत्पादकता में वृद्धि होगी, कृषि का विविधीकरण होगा और अपेक्षित विनियोग होगा ।

वर्ष 2006–2007 की योजना का आकार 19000 करोड़ रुपये था । वर्ष 2007–2008 की वार्षिक योजना का आकार 25000 करोड़ रुपये निर्धारित हुआ जिसके सापेक्ष लगभग 97 प्रतिशत का उपयोग किया गया । केन्द्रांश को सम्मिलित करते हुये विकास कार्यों पर लगभग 34564 करोड़ रुपये का व्यय किया गया, जो वर्ष 2006–2007 की तुलना में 25.7 प्रतिशत अधिक

है । वर्ष 2008–2009 के लिये प्रदेश की योजना का आकार रुपये 35000 करोड़ निर्धारित हुआ है जो वर्ष 2007–2008 की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है और तदनुसार व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर विश्व बाजार में आई मंदी का प्रभाव नगण्य हो, इसके लिये यथा आवश्यक सभी उपाय करने के लिये हम दृढ़ संकल्प हैं । अर्थव्यवस्था में होने वाले विनियोजन को बनाये रखने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोजन को बढ़ाया जा रहा है । एक ओर जहाँ आवास सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है, वहीं लोगों को रोजगार देने हेतु सड़क निर्माण, शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें दिये जाने तथा ग्रामीण रोजगार हेतु आवश्यक व्यवस्था की गई है । किसानों की खुशहाली, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति में विशेष सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पारस्परिक हित और मानवता पर अधिक जोर दिया गया है ।

योजना आयोग द्वारा प्रदेश की वार्षिक योजना का आकार अभी निर्धारित नहीं किया गया है । हमने वर्ष 2009–2010 के बजट के निरूपण के लिये अनन्तिम रूप से छत्तीस हजार करोड़ रुपये (36000 करोड़ रुपये) का परिव्यय निर्धारित किया है ।

- वर्ष 2009–2010 में बजट का आकार एक लाख तैंतीस हजार पाँच सौ छियान्वे करोड़ अट्ठान्वे लाख रुपये (133596.98 करोड़ रुपये) है जो वर्ष 2008–2009 के बजट से 19 प्रतिशत अधिक है ।

- वर्ष 2009–2010 के बजट में चार हजार छः सौ बासठ करोड़ इकतालिस लाख (4662.41 करोड़ रुपये) की नई योजनायें प्रस्तावित हैं ।

- पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत चौबीस हजार दो सौ चार करोड़ सत्तर लाख रुपये (24204.70 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष से लगभग एक हजार छः सौ पचास करोड़ साठ लाख रूपये (1650.60 करोड़ रूपये) अधिक है ।

- वर्ष 2009–2010 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष है । प्रदेश के संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु आयोजनागत योजनाओं के लिए चालीस हजार दो सौ पचास करोड़ अट्ठावन लाख रुपये (40250.58 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है ।

- विशेष घटक योजना के अन्तर्गत आठ हजार चार सौ पचपन करोड़ बावन लाख रुपये (8455.52 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2008–2009 की तुलना में लगभग 21 प्रतिशत अधिक है ।

मैं माननीय सदन का समय विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों एवं उनकी उपलब्धियों का विवरण देने में नहीं लूँगा । विभागवार उपलब्धियों और कार्यक्रमों का विवरण व उन पर चर्चा का अवसर मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न अनुदानों को प्रस्तुत करते समय प्राप्त होगा ही जब वे विभागीय कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालेगें । मैं

महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा ।

सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय

हमारी सरकार का लक्ष्य "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" के सिद्धान्त पर चल कर समता मूलक समाज व्यवस्था स्थापित करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

- समाज के विभिन्न दुर्बल एवं निःशक्त वर्गों के कल्याणार्थ संचालित सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नौ हजार चार सौ करोड़ रुपये (9400 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2008–2009 की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है ।

- बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने, बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने तथा वयस्क विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना आरम्भ की गयी है । योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2009–2010 के बजट में नौ सौ करोड़ रुपये (900 करोड़ रुपये) की व्यवस्था है ।

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना लागू की गयी है ।

इस योजना में पात्र छात्राओं को कक्षा 11 में 15000 रुपये, विद्यालय आने जाने हेतु एक साइकिल तथा कक्षा 12 में 10000 रुपये की राशि प्रदान की जायेगी । इस योजना हेतु वर्ष वर्ष 2009–2010 के बजट में चार सौ बारह करोड़ रुपये (412 करोड़ रुपये) की व्यवस्था है ।

- वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2009–2010 के बजट में एक हजार सात सौ चार करोड़ रुपये (1704 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लगभग एक करोड़ सैंतीस लाख छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2009–2010 में इन छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक हजार एक सौ तिरानवे करोड़ रुपये (1193 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–2010 में छात्रवृत्ति की मद में आठ सौ उन्तालिस करोड़ रुपये (839 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर छात्रों को राजकीय शैक्षिक संस्थाओं में अनुमन्य दरों के अनुसार

शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2009–2010 के बजट में एक सौ उन्यासी करोड़ रुपये (179 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- अनुसूचित जाति के गरीब एवं बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिये स्वीकृत दस वर्ष से अधिक पुराने ऋणों की वापसी में लाभार्थियों के सक्षम न होने के कारण उन पर ऋण का बोझ समाप्त करने के लिये एक सौ बीस करोड़ रुपये (120 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत् परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर रुपये 20000 की आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–2010 में अठहत्तर करोड़ रुपये (78 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी हेतु आर्थिक सहायता के लिये एक सौ सत्रह करोड़ रुपये (117 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

विकलांग कल्याण

- विभिन्न श्रेणी के विकलांग बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ में डॉ0 शकुन्तला मिश्रा

विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है ।

- निराश्रित विकलांगजनों के भरण–पोषण अनुदान हेतु वर्ष 2009–2010 में दो सौ उन्तालिस करोड़ रुपये (239 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान की मद में ढाई करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण

- आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त 100 मदरसों को अनुदान सूची में लिया जायेगा ।

- प्रदेश में अरबी–फारसी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद लखनऊ में अरबी–फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी ।

- अल्पसंख्यक समुदायों के पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–2010 में दो सौ बारह करोड़ रुपये (212 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- लखनऊ एवं गाजियाबाद में हज हाउस के निर्माण के लिये चार करोड़ चालीस लाख रुपये (4.40 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की अनुदान की राशि में दो गुने से अधिक की वृद्धि की गई है ।

अवस्थापना

सम्मानित सदस्य इस तथ्य से भलीभांति भिज्ञ हैं कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता अति आवश्यक है । इन सुविधाओं में ऊर्जा, सड़क एवं सेतु तथा सिंचाई प्रमुख हैं । हमारी सरकार द्वारा इंन मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है ।

ऊर्जा

- विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाये जाने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वर्ष 2009–2010 के बजट में नौ हजार आठ सौ छियालिस करोड़ रुपये (9846 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- हरदुआगंज विस्तार द्वितीय परियोजना में 250 मेगावॉट की दो इकाईयों की स्थापना प्रस्तावित है जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2009–2010 में एक सौ सत्तर करोड़ रुपये (170 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- पनकी ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या 3 एवं 4 की क्षमता 110 मेगावॉट से बढ़ाकर 120 मेगावॉट किया जाना है जिसके लिये वित्तीय वर्ष

2009–2010 के बजट में सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- फतेहपुर में निवेली लिगनाइट कारपोरेशन के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में लगभग दस हजार करोड़ रुपये (10000 करोड़ रुपये) लागत की 2000 हजार मेगावॉट क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2009–2010 के बजट में पचास करोड़ रुपये (50 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश में अबाध विद्युत आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली में अधिक कुशलता सुनिश्चित करने के निमित्त शहरी क्षेत्रों में इनपुट आधारित फ्रेन्चाईजी की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है ।

सड़क एवं सेतु

- वित्तीय वर्ष 2009–2010 में सड़कों एवं सेतुओं हेतु सात हजार छः सौ सत्तावन करोड़ रुपये (7657 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश के राज्य राजमार्गों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण, राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, जिला मार्गों के उच्चीकरण तथा ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण की नई

योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2009–2010 के बजट में एक हजार नौ सौ तिरासी करोड़ रुपये (1983 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- ग्रामीण मार्गों के निर्माण के लिये तीन हजार छः सौ नौ करोड़ रुपये (3609 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों एवं नालों पर नये सेतुओं के निर्माण हेतु एक सौ सत्ताईस करोड़ रुपये (127 करोड़ रुपये) तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं हेतु नब्बे करोड़ रूपये (90 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

परिवहन

- वर्ष 2009–2010 में 2200 नई बसें क्रय करने का लक्ष्य है ।

- जनता को सुगम, सुलभ और सस्ती अन्तर्राज्यीय यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्यों के साथ समझौते किये गये हैं ।

- यातायात में सुधार और उच्चस्तरीय बस व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजन हेतु यू0पी0 स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट पैसेन्जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन का गठन किया गया है ।

- दिल्ली से नोएडा तक मेट्रो रेल की स्थापना की जा रही है । लखनऊ तथा कानपुर महानगर में मेट्रो रेल परियोजना के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

- निजी क्षेत्र की सहभागिता से प्रदेश में विश्वस्तरीय ड्राइवर ट्रेनिंग संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया है ।

सिंचाई

- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं हेतु वर्ष 2009–2010 के बजट में छः हजार दो सौ इकतीस करोड़ रुपये (6231 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2008–2009 के सापेक्ष लगभग 14 प्रतिशत अधिक है ।

- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की नई योजनाओं हेतु एक सौ पैंतीस करोड़ रुपये (135 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- "उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना" के द्वितीय चरण में प्रदेश के अन्य अत्यन्त पिछड़े तथा सूखाग्रस्त सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र को भी लाया जाना सरकार के विचाराधीन है जिससे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल उपलब्धता व प्रबंधन का संयोजन कर कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी सहित कृषि विविधीकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

शहरी अवस्थापना

- शहरी अवस्थापना, जिसमें आवास, पेयजल एवं सीवरेज तथा अन्य नगर विकास कार्यक्रम सम्मिलित हैं, हेतु वर्ष 2009–2010 में चार हजार आठ सौ पैंतालीस करोड़ रुपये (4845 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है जो वर्ष 2008–2009 की तुलना में लगभग 27 प्रतिशत अधिक है ।

- शहरी गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु "मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना' हेतु वित्तीय वर्ष 2009–2010 में एक हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये (1250 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । योजना के अन्तर्गत एक लाख एक हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य है ।

- दिनांक 15 जनवरी, 2009 से पहले राजकीय भूमि पर अनधिकृत रूप से बस्ती बनाकर रह रहे गरीब लोगों को 30 वर्गमीटर तक की भूमि पर मालिकाना हक दिलाये जाने हेतु "सवर्जन हिताय शहरी गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना" प्रारम्भ की गई है ।

- लखनऊ नगर के समग्र विकास हेतु अलग से भी चार सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । साथ ही इलाहाबाद, फैजाबाद–अयोध्या, कानपुर–बिठूर, कन्नौज, आगरा, मथुरा–वृंदावन, मेरठ एवं वाराणसी में बुनियादी सुविधाओं के

विस्तार एवं विकास की कई योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं ।

- मान्यवर कांशीराम जी नगर विकास योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार एवं विकास कार्यों हेतु नागर निकायों को ब्याज रहित ऋण के लिये वित्तीय वर्ष 2009–2010 के बजट में दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- इन्टीग्रेटेड हाऊसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेण्ट योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2009–2010 में दो सौ पचास करोड़ रुपये (250 करोड़ रुपये) का प्रावधान प्रस्तावित है जिससे 14000 व्यक्तियों को आवास सहित मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी ।

- कम जनसंख्या वाले ऐसे छोटे नगरीय निकाय, जो जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूअल मिशन एवं अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाऊन्स योजना से आच्छादित नहीं हो पाये हैं, में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु "आदर्श नगर योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–2010 में सौ करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले चयनित नगरों में संचालित "बेसिक सर्विसेज फार अर्बन पुअर" योजना हेतु वित्तीय वर्ष

2009–2010 में दो सौ तीस करोड़ रुपये (230 करोड रुपये) का प्रावधान प्रस्तावित है जिससे 7000 व्यक्तियों को आवास सहित मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी ।

- शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन / निर्माण की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2009–2010 में 2 लाख शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किये जाने का लक्ष्य है ।

- प्रदेश के समस्त नागर निकायों को नगरों के विकास एवं सफाई आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2009–2010 के बजट में एक सौ बयालिस करोड़ रुपये (142 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–2010 में एक सौ बारह करोड़ रुपये (112 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सामाजिक अवस्थापना

शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य दो मूलभूत आवश्यकताऐं हैं जिनकी उपलब्धता पर ही मानव पूँजी का विकास सम्भव है और इनका विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान है । राज्य सरकार द्वारा इन दोनों क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है ।

- शिक्षा क्षेत्र हेतु उन्नीस हजार सैंतीस करोड़ रुपये (19037 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2008–2009 की तुलना में 42 प्रतिशत अधिक है ।
- शिक्षामित्रों का मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है ।
- वर्ष 2009–2010 में ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चिन्हित 426 विकास खण्डों में प्रत्येक विकास खण्ड में निजी प्रबन्धतंत्र के सहयोग से कम से कम एक कन्या हाईस्कूल खोला जायेगा ।
- वर्ष 2009–2010 में 3000 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 710 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 10000 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है ।
- सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 में 14000 विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण एवं 42000 विद्यालयों में विद्युतीकरण कराये जाने का लक्ष्य है ।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2009–2010 में लगभग बहत्तर करोड़ रुपये (72 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष 2009–2010 में पैंतीस करोड़ रुपये (35 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- राजकीय महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2009–2010 में एक हजार दो सौ ग्यारह करोड़ रुपये (1211 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु तेरह करोड़ रुपये (13 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 11460 छात्र–छात्राओं को आच्छादित किया जायेगा ।

- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्याँकन हेतु स्टेट क्वालिटी एश्योरेन्स एजेन्सी की स्थापना की जायेगी ।

प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा

- कानपुर में नये प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी ।

- प्रदेश में पाँच नये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ।

- इंजीनियरिंग छात्रों को तकनीकी ज्ञान के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में कौशल संवर्द्धन हेतु वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना की जायेगी ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की योजनाओं हेतु छः हजार पाँच सौ तीन करोड़ रुपये (6503 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2008–2009 की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत अधिक है ।

- वित्तीय वर्ष 2009–2010 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन के लिए पचासी करोड़ रुपये (85 करोड़ रुपये) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु दो सौ नब्बे करोड़ रुपये (290 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- औषधि एवं रसायन मद में वर्ष 2008–2009 में दो सौ तैंतीस करोड़ सड़सठ लाख रुपये (233.67 करोड़ रुपये) की व्यवस्था के सापेक्ष वर्ष 2009–2010 में दो सौ छियासठ करोड़ छत्तीस लाख रुपये (266.36 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो 14 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है ।

- प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में जापानी इन्सेफलाइटिस तथा एक्वायर्ड इन्सेफलाइटिस सिण्ड्रोम रोग के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था

उपलब्ध करा दी गई है । जापानी इन्सेफलाइटिस प्रभावित 34 जनपदों में से 27 जनपदों के 2 करोड 72 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया जा चुका है तथा शेष सात जनपदों में टीकाकरण वर्ष 2009–2010 में किया जायेगा ।

- परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2009–2010 के आय–व्ययक में एक हजार दो सौ चालीस करोड़ रुपये (1240 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2008–2009 की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक है ।

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिये राज्याँश हेतु तीन सौ करोड़ रुपये (300 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2008–2009 की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत अधिक है ।

- सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिये "जननी सुरक्षा योजना" संचालित है ।

- ऐलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं अतिविशिष्ट चिकित्सा संस्थानों हेतु वर्ष 2009–2010 में एक हजार दो सौ उन्तालिस करोड़ रुपये (1239 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में बी0पी0एल0, विकलांग तथा विपन्न

रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ।

- आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा के लिए वित्तीय वर्ष 2009–2010 में तीन सौ बासठ करोड़ रुपये (362 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- यूनानी चिकित्सा पद्धति को सुनियोजित रूप से प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पृथक यूनानी निदेशालय की स्थापना की गई है ।

- होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों तथा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के निर्माण कार्यों, सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन हेतु एक सौ चौरासी करोड़ रुपये (184 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2009–2010 में प्रस्तावित है ।

महिला एवं बाल विकास

- बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने, बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने तथा वयस्क विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना आरम्भ की गयी है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2008–2009 में एक सौ पचास करोड़ रुपये (150 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है तथा

वर्ष 2009–2010 के बजट में नौ सौ करोड़ रुपये (900 करोड़ रुपये) की व्यवस्था है ।

- वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना हेतु बजट में लगभग छः करोड़ रुपये (6 करोड़ रुपये) व स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से रोजगारपरक प्रशिक्षण हेतु उन्नीस करोड़ रुपये (19 करोड़ रुपये) की व्यवस्था है ।

- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–2010 के बजट में पाँच सौ इकसठ करोड़ रुपये (561 करोड़ रुपये) की व्यवस्था है, जिससे लगभग 15 लाख 63 हजार निराश्रित महिलायें लाभान्वित होंगी ।

- समेकित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–2010 में एक हजार सात सौ आठ करोड़ रुपये (1708 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- अनुपूरक पोषाहार योजना के अन्तर्गत जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय वर्ष 2009–2010 में लगभग 2 करोड़ 26 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है जिसके लिये एक हजार बाईस करोड़ रुपये (1022 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था की गई है ।

कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप

मान्यवर, आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है जहाँ अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं संवर्गीय कार्यक्रमों में लगी है । प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 28 प्रतिशत है । इस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गई है ।

- कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के लिये वर्ष 2009–2010 के बजट में लगभग ग्यारह हजार चौंसठ करोड़ रुपये (11064 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2008–2009 की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है ।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये छः सौ उन्नीस करोड़ रुपये (619 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- प्रदेश में समस्याग्रस्त भूमि को उत्पादक बनाने की दृष्टि से बहुआयामी किसान हित योजना चलाई जा रही है। एक सौ इकहत्तर करोड़ रुपये (171 करोड़ रुपये) की लागत वाली इस परियोजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर भूमि को उपचारित करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे 1 करोड़ 10 लाख मानव दिवस सृजित होंगे ।

- कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिप्सम एवं जिंक सल्फेट खाद पर अनुदान की

दर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी गई है ।

- किसानों को उनकी आलू उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आलू मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत आलू समर्थन मूल्य 250 रुपये प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति कुन्तल कर दिया गया है ।

- उत्पादकता में दीर्घकालिक वृद्धि हेतु जैविक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु जैव उर्वरकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

- प्रदेश के कृषकों को बीज वितरण के लिये इक्यावन करोड़ रुपये (51 करोड़ रुपये) तथा उर्वरकों के वितरण के लिये बत्तीस करोड़ रुपये (32 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- प्रमाणित बीजों पर अनुदान के लिये सत्तर करोड़ रुपये (70 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- इन्टीग्रेटेड रेन वाटर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट के लिये दो सौ उन्नीस करोड़ रुपये (219 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट–III के लिये पचास करोड़ रुपये (50 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के दृष्टिगत कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार के उद्देश्य से कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा की स्थापना के लिये वर्ष 2009–2010 में पचास करोड़ रुपये (50 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं संचित जल का सिंचाई हेतु सम्यक उपयोग की योजना चलाई जा रही है जिसके द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा । योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है जिसके अधीन लघु एवं सीमान्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को शत–प्रतिशत अनुदान पर तथा अन्य कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही है ।

- स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गई है ।

- गन्ना फसल के लागत मूल्य व अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने गन्ना पेराई वर्ष 2008–2009 के लिए अगैती प्रजातियों हेतु 145 रुपये, सामान्य प्रजातियों हेतु 140 रुपये तथा अप्रयुक्त गन्ना प्रजातियों के लिए 137.50 रुपये प्रति कुन्तल, राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य घोषित किया है । यह अब तक की गई

सर्वाधिक वृद्धि है । इससे गन्ना किसानों को लगभग नौ सौ पचास करोड़ रुपये (950 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त आमदनी होगी ।

- पेराई सत्र 2008–2009 में प्रदेश में कुल 132 चीनी मिलें संचालित हैं, जिनमें से 93 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की, 25 मिलें सहकारी चीनी मिल संघ तथा 14 मिलें राज्य चीनी निगम की हैं । दिनांक 31 जनवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार कुल 343.80 लाख टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है, तथा इससे 30.23 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जा चुका है ।

- दिनांक 5 फरवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार वर्तमान पेराई सत्र में कुल देय गन्ना मूल्य 4022 करोड़ रुपये के सापेक्ष 3905 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है । इस प्रकार कुल देय गन्ना मूल्य के 97 प्रतिशत का भुगतान हो चुका है । बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वर्ष 2009–2010 के बजट में दो सौ उन्यासी करोड़ रुपये (279 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

ग्राम्य विकास

- डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2009–2010 के लिए चयनित 3712 डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में बी0पी0एल0 के लगभग छः लाख तथा ए0पी0एल0 के लगभग एक लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराये जाने का

लक्ष्य है । अन्य ग्राम पंचायतों में लगभग बारह लाख नवासी हजार (12.89 लाख) बी0पी0एल0 परिवारों के लिये तथा एक लाख उन्तीस हजार (1.29 लाख) ए0पी0एल0 परिवारों के लिये, शौचालयों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है ।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2009–2010 में 45 जिलों के बी0पी0एल0 परिवारों के लिए एक सौ इकत्तीस करोड़ रुपये (131 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–2010 में तीन हजार करोड़ रुपये (3000 करोड़ रुपये) व्यय होने का अनुमान है ।

- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये एक हजार करोड़ रुपये (1000 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- वर्ष 2010 में सम्पन्न होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराये जाने के निमित्त इस बजट में एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये (125 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनायें संचालित हैं । त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना हेतु वर्ष 2009–2010 के लिए तीन सौ

अठहत्तर करोड़ रुपये (378 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में सामुदायिक हॉल का निर्माण योजना हेतु बीस करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था की गई है ।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के राज्याँश हेतु वर्ष 2009–2010 के लिए दो सौ सैंतीस करोड़ रुपये (237 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 में एक सौ पैंतीस करोड़ (135 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 3 लाख 20 हजार स्वरोजगारियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है ।

- डॉ0 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से आंशिक रूप से ऊपर वाले परिवारों को सार्थक रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके लिए वर्ष 2009–2010 में चार करोड़ रुपये (4 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–2010 में 1 लाख 14 हजार हेक्टेयर प्रक्षेत्र विकास का लक्ष्य है ।

इससे लगभग 45 लाख मानव दिवसों का सृजन संभावित है ।

- सूखा बाहुल्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–2010 के बजट में पन्द्रह करोड़ रुपये (15 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 1 लाख 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार का लक्ष्य है जिसमें लगभग 32 लाख मानव दिवसों के सृजन की सम्भावना है।

- समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर समस्याग्रस्त क्षेत्र के उपचार का लक्ष्य है जिससे 33 लाख मानव दिवसों का सृजन होना सम्भावित है ।

- वित्तीय वर्ष 2009–2010 में 1 लाख 73 हजार निःशुल्क बोरिंग किये जाने का लक्ष्य है । इस हेतु बजट में अड़सठ करोड़ रुपये (68 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1810 गहरी बोरिंग, 4706 मध्यम गहराई की बोरिंग, 73 रिचार्जिंग चेकडैम, 600 सामूहिक नलकूप, 52 सामुदायिक ब्लास्ट कूप एवं अन्य निजी लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कराकर प्रदेश में 3 लाख 65 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किये जाने का लक्ष्य है ।

ग्रामीण अवस्थापना

- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2009–2010 के लिए दो सौ तेईस करोड़ रुपये (223 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे 2 लाख 85 हजार आवासों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है ।

- वर्ष 2009–2010 के बजट में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत दो सौ करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये) का प्रावधान प्रस्तावित है ।

- चयनित ग्रामसभाओं के गैर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समस्त पात्र बी0पी0एल0 आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु महामाया सर्वजन आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 के लिए नब्बे करोड़ रुपये (90 करोड़ रूपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- डॉ0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित 3712 ग्राम सभाओं के सभी राजस्व ग्रामों को बिजली और सम्पर्क मार्गों से संतृप्त किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2009–2010 में स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के अन्तर्गत एक हजार चार सौ सत्तावन करोड़ रुपये (1457 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण अवस्थापना विकास योजनाओं के लिये वर्ष 2008–2009 में की गई व्यवस्था सात सौ पचास करोड़ रुपये (750 करोड़ रुपये) के सापेक्ष 2009–2010 में एक हजार चार सौ चालीस करोड़ रुपये (1440 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

- कृषि विपणन को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण मार्गों के निर्माण कार्यों हेतु दो हजार दो सौ पैंतालीस करोड़ रुपये (2245 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- ग्रामीण मार्गों एवं लघु सेतुओं के पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण के कार्यों हेतु एक सौ इक्यावन करोड़ रुपये (151 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- सी0सी0 रोड व पक्की नाली का निर्माण कराया जा रहा है । इस हेतु वर्ष 2009–10 के बजट में एक हजार दो सौ बयालिस करोड़ रुपये (1242 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- प्रदेश में अन्तरस्थलीय मत्स्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से वर्ष 2009–2010 में मत्स्य उत्पादन का स्तर 4 लाख 19 हजार टन तक पहुँचने का अनुमान है जिससे 50 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने के साथ–साथ 35 लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य है ।

- निर्बल आय वर्ग के आश्रयविहीन मछुआ परिवारों के लिए 4000 मछुआ आवासों का निर्माण एवं जल व्यवस्था हेतु 400 हैण्ड पम्प स्थापित किये जाने का लक्ष्य है ।

समन्वित क्षेत्रीय विकास

- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं हेतु तीन सौ तीस करोड़ रुपये (330 करोड़ रुपये) का प्रावधान वर्ष 2009–2010 के बजट में प्रस्तावित है ।

- बुन्देलखण्ड का अधिकांश भाग पठारी है जिसमें सिंचाई के साधन सीमित हैं । सिंचाई व्यवस्था में सुधार हेतु वर्ष 2009–2010 में 02 नई लघु सिंचाई परियोजनायें प्रस्तावित हैं जिसमें काजीपुर पम्प नहर के निर्माण की परियोजना एवं जनपद चित्रकूट में 22 नई बंधियों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ।

- बुलेन्दखण्ड एवं पूर्वान्चल क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त बाँधों की मरम्मत हेतु पच्चीस करोड़ रुपये (25 करोड़ रुपये) तथा बुलेन्दखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्रों की विशेष योजना हेतु एक सौ पचास करोड़ रुपये (150 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

औद्योगिक विकास

- वित्तीय वर्ष 2009–2010 में 33000 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की स्थापना का लक्ष्य है, जिससे

लगभग एक लाख तीस हजार व्यक्तियों हेतु नये रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे ।

- लघु उद्योगों को सभी प्रकार की औद्योगिक परिसंरचनायें प्रदान करते हुए विकसित करने के उद्देश्य से संचालित क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत प्रदेश में 78 क्लस्टर्स का विकास किया जायेगा ।

- वित्तीय वर्ष 2009–2010 में 30,000 बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है तथा हथकरघा वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य 62 करोड़ मीटर है ।

- प्रदेश सरकार द्वारा पॉवरलूम उद्योग बुनकरों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु "पॉवरलूम क्षेत्र का आधुनिकीकरण एवं समग्र विकास योजना" वित्तीय वर्ष 2009–2010 से प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिए पाँच करोड़ रुपये (5 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–2010 में 6500 नई ग्रामोद्योगी इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य है जिससे 52000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे ।

- खादी ग्रामोद्योग से जुड़े ग्रामों में उद्योग समूहों को विशेष रूप से विकसित किये जाने हेतु मान्यवर कांशीराम खादी शिल्प ग्राम नामक

योजना वर्ष 2009–2010 में प्रस्तावित की गई है जिसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों को आधारभूत सुविधाओं का लाभ पहुँचाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जाना है ।

वन एवं पर्यावरण

जापान इण्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी के वित्तीय सहयोग से संचालित उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना काल में 800 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों तथा 140 इको विकास समितियों के माध्यम से 80000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण, वन्य जीव एवं प्राकृत वास का संरक्षण एवं संवर्द्धन किये जाने का लक्ष्य है ।

आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण एवं अवैध खनन आदि की समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इन्टीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम क्रियान्वित है । वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफैण्ट तथा इको डेवलपमेण्ट कार्य कराया जा रहा है । वन क्षेत्र के समीप रहने वाली आबादी एवं अन्य वन्य जन्तुओं के बीच बढ़ते संघर्ष की समस्या के निराकरण हेतु मानव पशु संघर्ष निवारण योजना प्रारम्भ की गई है ।

पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार एवं संवर्धन वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों की खुशहाली के लिए अनिवार्य है । वित्तीय वर्ष 2009–2010 में पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरणीय दृष्टिकोण से

योजना वर्ष 2009–2010 में प्रस्तावित की गई है जिसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों को आधारभूत सुविधाओं का लाभ पहुँचाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जाना है ।

वन एवं पर्यावरण

जापान इण्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी के वित्तीय सहयोग से संचालित उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना काल में 800 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों तथा 140 इको विकास समितियों के माध्यम से 80000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण, वन्य जीव एवं प्राकृत वास का संरक्षण एवं संवर्द्धन किये जाने का लक्ष्य है ।

आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण एवं अवैध खनन आदि की समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इन्टीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम क्रियान्वित है । वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफैण्ट तथा इको डेवलपमेण्ट कार्य कराया जा रहा है । वन क्षेत्र के समीप रहने वाली आबादी एवं अन्य वन्य जन्तुओं के बीच बढ़ते संघर्ष की समस्या के निराकरण हेतु मानव पशु संघर्ष निवारण योजना प्रारम्भ की गई है ।

पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार एवं संवर्धन वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों की खुशहाली के लिए अनिवार्य है । वित्तीय वर्ष 2009–2010 में पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरणीय दृष्टिकोण से

अपघटित क्षेत्रों का विकास तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु शोध योजनायें चलाये जाने का प्रस्ताव है । "राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सामरिक ज्ञान मिशन" के अन्तर्गत शोध, प्रौद्योगिकी विकास और क्रियान्वयन संबंधी योजना क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित है ।

पर्यटन

पर्यटन विकास पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत अट्ठावन करोड़ रुपये (58 करोड़ रुपये) की व्यवस्था है । वर्ष 2009–2010 में बृज, मिर्जापुर आदि में पर्यटन विकास की नई योजनाओं हेतु लगभग छियालिस करोड़ रुपये (46 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कानून व्यवस्था

हमारी सरकार ने प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है ।

विभिन्न आपराधिक एवं माफिया तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है । अपराधी आज सलाखों के पीछे हैं । कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली या ऊँची पहुँच वाला क्यों न हो, कानून तोड़ने पर उसके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई है । प्रदेश में सामुदायिक सौहार्द का माहौल पूरी तरह बना हुआ है । किसी प्रकार का कोई जातिगत अथवा

अपघटित क्षेत्रों का विकास तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु शोध योजनायें चलाये जाने का प्रस्ताव है । "राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सामरिक ज्ञान मिशन" के अन्तर्गत शोध, प्रौद्योगिकी विकास और क्रियान्वयन संबंधी योजना क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित है ।

पर्यटन

पर्यटन विकास पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत अट्ठावन करोड़ रुपये (58 करोड़ रुपये) की व्यवस्था है । वर्ष 2009–2010 में बृज, मिर्जापुर आदि में पर्यटन विकास की नई योजनाओं हेतु लगभग छियालिस करोड़ रुपये (46 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कानून व्यवस्था

हमारी सरकार ने प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है ।

विभिन्न आपराधिक एवं माफिया तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है । अपराधी आज सलाखों के पीछे हैं । कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली या ऊँची पहुँच वाला क्यों न हो, कानून तोड़ने पर उसके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई है । प्रदेश में सामुदायिक सौहार्द का माहौल पूरी तरह बना हुआ है । किसी प्रकार का कोई जातिगत अथवा

क्षेत्रगत तनाव या माओवादी अथवा आतंकवादी घटनायें घटित नहीं हुई हैं ।

एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत पुलिस बल में दो लाख चार हजार से भी अधिक नये पद सृजित किये गये हैं । इन नये पदों के सृजन के साथ उत्तर प्रदेश में पुलिस–जनसंख्या अनुपात 83 प्रति लाख से बढ़कर 150 प्रति लाख से ऊपर हो जायेगा जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है ।

इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की भर्ती के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू किये जाने हेतु पुलिस भर्ती एवं प्रोमोशन बोर्ड का गठन किया गया है तथा पहली बार पुलिस बल के विभिन्न संवर्गो के लिए सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई है ।

प्रदेश के सभी जनपदों में महिला थानों की स्थापना का निर्णय लिया गया है । 42 जनपदों में महिला थाना वर्ष 2008–2009 में स्थापित किये जा चुके हैं । शेष 29 जनपदों में महिला थाने वित्तीय वर्ष 2009–2010 में स्थापित किये जायेंगे ।

फिदायीन हमलों जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एन0एस0जी0 कमाण्डो की तर्ज पर दो हजार कमाण्डो बल तैयार करने का निर्णय लिया गया है । इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जायेगा ।

नक्सलियों / आतंकवादियों द्वारा की जा रही घटनाओं के दृष्टिगत प्रदेश की सशस्त्र पुलिस तथा कमाण्डो बल को आधुनिकतम् शस्त्र, संचार और सुरक्षा

उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत दो सौ बयालिस करोड़ रुपये (242 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वित्तीय वर्ष 2009–2010 में कारागारों के निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु दो सौ तिरपन करोड़ रुपये (253 करोड़ रुपये) की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कर्मचारी कल्याण

मान्यवर, जैसा आप अवगत हैं, उत्तर प्रदेश सरकार देश की गिनी–चुनी राज्य सरकारों में से है जिसने केन्द्र सरकार द्वारा छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का वेतनमान पुनरीक्षित कर दिये जाने के अनन्तर त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सदृश पुनरीक्षित वेतन संरचना तथा पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण तथा पारिवारिक पेंशन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू कर दिया है । मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता एवं परिवार नियोजन प्रोत्साहन स्वरूप देय विशेष वेतन की दरों में भी समुचित वृद्धि की गयी है तथापि हम दृढ़ संकल्प हैं कि विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आयोजनागत व्यय में कोई कमी न हो ।

राजकोषीय सेवायें

- राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति में राजकोषीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है । इनके माध्यम से वाणिज्य कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्री कर, मनोरंजन कर, भू–राजस्व आदि की वसूली होती है ।

- वाणिज्य कर के लिये वर्ष 2008–2009 के पुनरीक्षित वार्षिक लक्ष्य सत्रह हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ रुपये (17178 करोड़ रुपये) के सापेक्ष वर्ष 2009–2010 में वाणिज्य कर से बीस हजार सात सौ इकतालिस करोड़ रुपये (20741 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान लिया गया है, जो लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ।

- वैट के अन्तर्गत पंजीयन लेने की टर्न ओवर की मौद्रिक सीमा 5 लाख रुपये कर दी गई है तथा कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों के लिए स्वैच्छिक पंजीयन की व्यवस्था की गई है । व्यापारियों के विरूद्ध अभियोजन के प्रावधान समाप्त कर दिये गये हैं । ऐसा केवल उत्तर प्रदेश में किया गया है ।

- वर्ष 2009–2010 में आबकारी शुल्क से पाँच हजार एक सौ छिहत्तर करोड़ रुपये (5176 करोड़ रुपये) के राजस्व प्राप्तियों का अनुमान आय–व्ययक में लिया गया है, जो वर्ष 2008–2009 के पुनरीक्षित अनुमान चार हजार

चार सौ पचास करोड़ रुपये (4450 करोड़ रुपये) से लगभग 16 प्रतिशत अधिक है ।

- वित्तीय वर्ष 2009–2010 में स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क से पाँच हजार तीन सौ इक्यावन करोड़ रुपये (5351 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

- वाहन कर एवं माल तथा यात्री कर से प्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2009–2010 में एक हजार पाँच सौ पचहत्तर करोड़ रुपये (1575 करोड़ रुपये) का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

2009–2010 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2009–2010 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2009–2010 में एक लाख इक्कीस हजार पाँच सौ दो करोड़ छियान्वे लाख रुपये (121502.96 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

- कुल प्राप्तियों में चौरान्वे हजार चार सौ उन्तालिस करोड़ चौरासी लाख रुपये (94439.84 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा सत्ताईस हजार तिरसठ करोड़ बारह लाख रुपये (27063.

12 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।

- वर्ष 2009–2010 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश तिहत्तर हजार एक सौ चौदह करोड़ बीस लाख रुपये (73114.20 करोड़ रुपये) है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश उन्तालिस हजार छः सौ अट्ठावन करोड़ अड़तीस लाख रुपये (39658.38 करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।

व्यय

- वर्ष 2009–2010 में कुल व्यय एक लाख तैंतीस हजार पाँच सौ छियान्वे करोड़ अट्ठान्वे लाख रुपये (133596.98 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।
- कुल व्यय में बानवे हजार आठ सौ छियासठ करोड़ पैंसठ लाख रुपये (92866.65 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा चालीस हजार सात सौ तीस करोड़ तैंतीस लाख रुपये (40730.33 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है ।
- वर्ष 2009–2010 के बजट में चालीस हजार दो सौ पचास करोड़ अट्ठावन लाख रुपये (40250.58 करोड़ रुपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित है ।

राजस्व बचत

- वर्ष 2009–2010 में एक हजार पाँच सौ तिहत्तर करोड़ उन्नीस लाख रूपये (1573.19 करोड़ रूपये) की राजस्व बचत अनुमानित है । वर्ष 2008–2009 के बजट में यह दस हजार नौ सौ सतहत्तर करोड़ अड़सठ लाख रूपये (10977.68 करोड़ रूपये) तथा पुनरीक्षित अनुमानों में यह चार हजार एक सौ पाँच करोड़ चौवन लाख रूपये (4105.54 करोड़ रूपये) है ।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2009–2010 में तेईस हजार दो सौ अट्ठान्वे करोड़ उनहत्तर लाख रूपये (23298.69 करोड़ रूपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत है । वर्ष 2008–2009 के बजट में राजकोषीय घाटा ग्यारह हजार छः सौ अट्ठान्वे करोड़ इक्यानवे लाख रूपये (11698.91 करोड़ रूपये) तथा पुनरीक्षित अनुमानों में बीस हजार पाँच सौ छप्पन करोड़ छियासी लाख रूपये (20556.86 करोड़ रूपये) है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में क्रमशः 4 तथा 5.3 है ।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2009–2010 में घाटा बारह हजार

चौरान्वे करोड़ दो लाख रुपये (12094.02 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।

लोक लेखे से समायोजन

वर्ष 2009–2010 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये बारह हजार दो सौ पन्द्रह करोड़ रुपये (12215 करोड़ रुपये) लोक लेखे से समायोजित किये जायेंगे ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2009–2010 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम एक सौ बीस करोड़ अट्ठान्वे लाख रुपये (120.98 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2009–2010 में प्रारम्भिक शेष एक हजार दो सौ इकत्तीस करोड़ पचहत्तर लाख रुपये (1231.75 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष एक हजार तीन सौ बावन करोड़ तिहत्तर लाख रुपये (1352.73 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है ।

मान्यवर, मैं माननीया मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके कृपापूर्ण मार्गदर्शन में बजट तैयार किया गया ।

मंत्रि–परिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं प्रमुख सचिव, वित्त श्री अनूप

मिश्र और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2009–2010 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

माघ 24, शक संवत् 1930,
तदनुसार,
दिनाँक : 13 फरवरी, 2009